

प्रेषक,

आर०पी०सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

विषय:- रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-939/11-सी/एफपी/यूपी/खनन/29061/2017, दिनांक 18-09-2021 एवं पत्र संख्या-1005/11-सी/एफपी/यूपी/खनन/29061/2017, दिनांक 20-11-2019 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि कब से कब तक प्रस्तावित है?

कृपया उपरोक्तानुसार आख्या सुसंगत अभिलेखों सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आर०पी०सिंह)
अनुसचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1413 /11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 29, 2021

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी परियोजना, ककरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।